अनुदान संख्या 42 – प्रत्यक्ष कर
GRANT No. 42–DIRECT TAXES

		कुल अनुदान या विनियोग Total grant or appropriation	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत- Saving–
				(हजार रुपयों में) (In thousands of rupees)
राजस्व:	**Revenue:**			
प्रभारित-	*Charged–*	*2,00*	. .	*–2,00*
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	*Amount surrendered during the year*			*2,00*
स्वीकृत-	Voted–	2883,98,00	2725,85,09	–158,12,91
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	Amount surrendered during the year			95,44,60
पूंजीगत:	**Capital:**			
स्वीकृत-	Voted–	618,00,00	9,29,83	–608,70,17
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	Amount surrendered during the year			608,28,91

टीका और टिप्पणियां

1. अनुदान के राजस्व भाग के *प्रभारित* अंश में, *2.00 लाख रु.* का *विनियोग* मुख्य शीर्ष "2020" - "आय और व्यय पर करों का संग्रहण" के अंतर्गत एक मामले में पूर्णतया अप्रयुक्त रहा और इसे अंतत: अभ्यर्पित कर दिया गया।

2. अनुदान के राजस्व भाग के स्वीकृत अंश में, बचतें/अधिक व्यय निम्नलिखित मुख्य शीर्ष के अंतर्गत हुईं/हुआ:-

Notes and comments

1. In the *charged* portion of the revenue section of the grant, *appropriation* of *Rs.2.00 lakhs* remained wholly unutilised in one case under Major Head "2020" – "Collection of Taxes on Income and Expenditure" and was eventually surrendered.

2. In the voted portion of the revenue section of the grant, savings/excess occurred under the following major head:-

(लाख रुपयों में)
(In lakhs of rupees)

शीर्ष	Head				
मुख्य शीर्ष "2020" आय और व्यय पर करों का संग्रहण	Major Head "2020" Collection of Taxes on Income and Expenditure				
मू.	O.	263740.00	254195.40	248866.08	–5329.32
पु.	R.	–9544.60			

(I) ''संग्रहण प्रभार - आयकर - आयुक्त और उनके कार्यालय'' के अंतर्गत 16582.48 लाख रु. की बचत (273451.58 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) रिक्त पदों के न भरे जाने, समयोपरि भत्ते, चिकित्सा प्रतिपूर्ति, विदेश यात्रा व्यय संबंधी कम दावे प्राप्त होने, किराया संशोधन मामले का निर्णय होने तक किराया, दरों और करों के लिए कम निधियों की आवश्यकता होने और किफायती उपाय किए जाने के कारण हुई।

(I) Under "Collection Charges – Income Tax – Commissioners and their offices" – saving of Rs.16582.48 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.273451.58 lakhs) was due to non-filling up of vacant posts, receipt of less claim of OTA, medical reimbursement, foreign travel expenses, requirement of less funds towards rent, rates and taxes pending rent revision case and economy measures.

3.(I) उपर्युक्त बचतें निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत अधिक व्यय द्वारा आंशिक रूप से प्रतिसंतुलित हो गईं:-

3.(I) The above savings were partly offset by excess under the following heads:-

(का) ''निदेशन और प्रशासन'' - अन्वेषण'' - 347.00 लाख रु. का अधिक व्यय (1759.98 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) छठे केंद्रीय वेतन आयोग की रिपोर्ट लागू किए जाने, दैनिक वेतन दरों में वृद्धि किए जाने, समयोपरि भत्ते, चिकित्सा प्रतिपूर्ति और न्यायालय मामले संबंधी अधिक दावे प्राप्त होने, अधिकारियों/कार्मिकों का स्थानांतरण और किराया करार के नवीनीकरण किए जाने की वजह से कार्यालय किराया में वृद्धि होने के कारण हुआ।

(A) "Direction and Administration - Investigation" – excess of Rs.347.00 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.1759.98 lakhs) was due to implementation 6th Central Pay Commission Report, increase in daily wage rates, receipt of more claims of OTA, medical reimbursement and court cases, transfer of officers/officials and hike in office rent owing to renewal of rent agreement.

(खा) ''संग्रहण प्रभार - आयकर - प्रधान मुख्य लेखा नियंत्रक का क्षेत्रीय लेखा कार्यालय'' - 248.00 लाख रु. का अधिक व्यय (3184.90 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) छठे केंद्रीय वेतन आयोग की रिपोर्ट लागू किए जाने, चिकित्सा प्रतिपूर्ति संबंधी अधिक दावे प्राप्त होने और लेखा परीक्षा पार्टियों के ज्यादा दौरे होने के कारण हुआ।

(B) "Collection Charges – Income Tax - Zonal Accounts Offices of Principal Chief Controller of Accounts" – excess of Rs.248.00 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.3184.90 lakhs) was due to implementation 6th Central Pay Commission Report, receipt of more claims of medical reimbursement and more visit of audit parties.

(II) एक शीर्ष के अंतर्गत 81.43 लाख रु. का अधिक व्यय हुआ जो स्वीकृत प्रावधान का 32 प्रतिशत था।

(II) Under one head excess of Rs.81.43 lakhs occurred constituting 32 percent of the sanctioned provision.

4. अनुदान के पूंजीगत भाग में, बचतें/अधिक व्यय निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत हुईं/हुआ:-

4. In the capital section of the grant, savings/ excess occurred under the following major heads:-

शीर्ष	Head		कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत- Saving–
					(लाख रुपयों में) (In lakhs of rupees)
मुख्य शीर्ष "4059" लोक निर्माण कार्यों पर पूंजीगत परिव्यय	Major Head "4059" Capital Outlay on Public Works				
मू.	O.	60200.00	780.45	741.99	–38.46
पु.	R.	–59419.55			
मुख्य शीर्ष "4216" आवास पर पूंजीगत परिव्यय	Major Head "4216" Capital Outlay on Housing				
मू.	O.	1500.00	. .	. .	. .
पु.	R.	–1500.00			

(I) 1500.00 लाख रु. का प्रावधान मुख्य शीर्ष "4216" - "सरकारी रिहायशी भवन - आयकर कर्मचारियों के लिए रिहायशी भवन - तैयार निर्मित फ्लैटों का अधिग्रहण" के अंतर्गत संपत्तियों की खरीद संबंधी प्रस्तावों को अंतिम रूप न दिए जाने के कारण एक मामले में पूर्णतया अप्रयुक्त रहा।

(I) Provision of Rs.1500.00 lakhs remained wholly unutilised in one case under Major Head "4216" – "Government Residential Buildings – Residential Buildings for Income Tax Employees – Acquisition of Ready built Flats" – due to non-finalisation of proposals for purchase of properties.

(II) मुख्य शीर्ष "4059" - "कार्यालय भवन - अन्य व्यय - तैयार निर्मित फ्लैटों का अधिग्रहण" के अंतर्गत 59458.01 लाख रु. की बचत (60200.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) संपत्तियों की खरीद के प्रस्तावों को अंतिम रूप न दिए जाने के कारण हुई।

(II) Under Major Head "4059" – "Office Buildings - Other Expenditure - Acquisition of Ready-built Accommodation" – saving of Rs.59458.01 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.60200.00 lakhs) was due to non-finalisation of proposals for purchase of properties.

5. उपर्युक्त बचतें एक शीर्ष के अंतर्गत 87.84 लाख रु. के अधिक व्यय द्वारा आंशिक रूप से प्रतिसंतुलित हो गईं और यह स्वीकृत प्रावधान का 88 प्रतिशत थीं।

5. The above savings were partly offset by an excess of Rs.87.84 lakhs under one head constituting 88 percent of the sanctioned provision.